**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4226**

**जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।**

**.....**

**नदी तट अपरदन को राष्ट्रीय आपदा में शामिल करना**

**4226. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि असम राज्य पिछले 10 वर्षों से बार-बार आने वाली बाढ़ सहित नदी तट अपरदन को राष्ट्रीय आपदा में शामिल करने की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) और (ख) असम में बार-बार बाढ़ की समस्या से जानमाल की हानि होती है और पारिस्थितिकीय असंतुलन बनता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसके वर्षा में समय और स्थान के आधार पर भारी भिन्नता के साथ-साथ सामान्य पैटर्न से बार-बार हटना, नदियों की अपर्याप्त संवाहक क्षमता, नदी तट कटाव, नदी तल में गाद जमा होना, भूस्खलन, खराब प्राकृतिक जल निकासी, हिमगलन और ग्लेशियर झीलों के फूटने जैसे विभिन्न कारण हैं। गृह मंत्रालय की मौजूद राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि स्कीम के अंतर्गत बाढ़ सहित किसी भी आपदा को "राष्ट्रीय समस्या/आपदा" घोषित करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा आने पर बाढ़ सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य आपदा राहत निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसे राष्ट्रीय आपदा राहत निधि की उपकर आधारित निधि से स्थापित प्रक्रिया, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है, के अनुसार आगे और सहायता दी जाती है।

*****